



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50511

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 612 वर्ष 2026

कुंवरपाल और 11 अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अभिताभ कुमार तिवारी, सुनील कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

- वर्तमान रिट याचिका उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली के नियम 17-ए(3) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा पारित आदेश उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत पुनरीक्षणीय है, इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज किया जाए।
- याची के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का खंडन नहीं किया है।
- अतः, पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष जाने के वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान रिट याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 12, 2026

विनय

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।